# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 21.02.19

## ::आदेश::

क्रमांक/ 147 /स्था0/2019 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक/पीईबी/कम्प्यूटर /6013/2018 भोपाल, दिनांक 19.12.2018 द्वारा समूह-4 अंतर्गत सहायक वर्ग-3, शीघ्रलेखक व अन्य समकक्ष पदों हेतु आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 दिनांक 28 से 31 जुलाई 2018 एवं 15 सितम्बर 2018 तथा लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 12.12.2018 को जारी किया जाकर परीक्षा परिणाम अंतिम चयन सूची संलग्न कर नियुक्ति की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्राप्त श्रेणीवार प्रावीण्य (मेरिट) सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल अभिलेख/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु दिनांक 11.02.2019 को बुलाया गया था। जिला स्तरीय गठित जॉच समिति द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन उपरांत पात्र पाये जाने पर स्टेनोटायपिस्ट के रिक्त पदों पर वेतनमान रूपये 5200-20200+1900 ग्रेड पे में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सॉतवा वेतनमान) के लेवल-4 के अनुसार वेतनमान रूपये 19500-62000 के न्यूनतम वेतन रूपये 19500/- प्रतिमाह एवं अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय है, में अस्थाई रूप से कार्यग्रहण दिनांक से निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियमित वेतनमान में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति की जाकर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं0 6 में दर्शाये अनुसार कार्यालय में पदस्थ किया जाता है:-

| स. क्र. | चयनित अभ्यर्थियों का नाम | पिता/पति का नाम | ग्राम का नाम एवं पता | चयनित पद | पदस्थापना कार्यालय का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | दिव्या सिल्हारे | श्री सन्तलाल सिल्हारे | कोस्ते पोस्ट मौदा किरनापुर, जिला बालाघाट (म0प्र0) पिन नं0 481115 | स्टेनो-टायपिस्ट | उपखण्ड कार्यालय सिंगरौली, जिला सिंगरौली |
| 2. | संतोष वास्कले | श्री गोरेलाल वास्कले | ग्राम रिरखेड़ा पो0 मल्तार मल्तार ठीकरी जिला बड़वानी (म0प्र0) पिन नं0 451660 | स्टेनो-टायपिस्ट | अपर कलेक्टर न्यायालय, जिला सिंगरौली |
| 3. | रितु उइके | श्री धरमचन्द | विनायक नगर पांच घर चंदनगांव छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा (म0प्र0) पिन नं0 480001 | स्टेनो-टायपिस्ट | कलेक्टर न्यायालय, जिला सिंगरौली |

**शर्ते/निर्देश निम्न है:-**

1. आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश समाप्त कर दिया जावेगा।
2. प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना दिये सेवा स्वयं समाप्त मानी जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णत: अस्थाई होगी एवं किसी भी समय एक माह के नोटिस के एवज में एक माह का वेतन भत्ता भुगतान कर सेवा समाप्त की जा सकेगी, तथा उनके द्वारा सेवा से त्याग पत्र देने पर एक माह का वेतन भत्ता जमा करना होगा।

4. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है तो आपकी नियुक्ति/सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के सदस्य होगें, इन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नही होगा।
6. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला सिंगरौली में 05 वर्ष तक सेवा करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/ 148 /स्था0/2019 सिंगरौली, दिनांक 21.02.19

**प्रतिलिपि:-**

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, राजस्व भवन, अरेरा हिल्स, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
5. अपर कलेक्टर जिला सिंगरौली (म0प्र0)की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी वित्त/नजारत शाखा कलेक्टर कार्यालय जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
8. जिला पेंशन अधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
9. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड सिंगरौली/माड़ा/देवसर/चितरंगी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
10. तहसीलदार, तहसील सिंगरौली/माड़ा/देवसर/सरई/चितरंगी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
12. स्टेनो टू कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
13. संबंधीजन ........................................................................................की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)